प्रेस नोट
दिनांक 09.08.2025

रक्षाबंधन पर्व के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा नगर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति का लिया गया जायजा–

गोण्डा। रक्षाबंधन त्यौहार के अवसर पर जनपद में शांति एवं कानून–व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा थाना को0 नगर क्षेत्रांन्तर्गत विभिन्न प्रमुख चौराहों, कस्बों एवं भीड़–भाड़ वाले क्षेत्रों में लगातार भ्रमणशील रहकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया।

निरीक्षण के दौरान महोदय द्वारा ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों एवं कर्मियों से सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की गई तथा उन्हे सतर्क व मुस्तैद रहते हुए भीड़–भाड़ वाले क्षेत्रों में पैदल गश्त बढ़ाने, संदिग्ध व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी रखने, महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने एवं ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रखने के निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक महोदय ने बताया कि रक्षाबंधन पर्व के दौरान जनपद के सभी संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है तथा सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी की जा रही है। सभी थानों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं और थाना प्रभारियों को अपने–अपने क्षेत्रों में लगातार गश्त करने, स्थानीय नागरिकों से संवाद बनाए रखने तथा प्रत्येक स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया देने के लिए कहा गया है। महोदय ने इस दौरान आमजन से अपील की कि वे रक्षाबंधन पर्व को शांति, सौहार्द एवं भाईचारे के वातावरण में मनाएं और किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें। साथ ही किसी भी समस्या या संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल थाने, पुलिस कंट्रोल रूम (112) या सोशल मीडिया के आधिकारिक माध्यमों पर दें, जिससे त्वरित पुलिस कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत, क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय सहित अन्य अधि0/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 09.08.2025

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा 03 शातिर चोरो को किया गया गिरफ्तार, कब्जे/निशानदेही से चोरी की 07 अदद बैट्री व चोरी की 01 अदद अपाची मोटरसाइकिल बरामद–

कार्यवाही
श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना नवाबगंज पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–255/2025, धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित प्रकाश में आये अभियुक्तगण–01. राजेश उर्फ रिक्की पुत्र राम सुरेश निवासी ग्राम बढ़ईपुरवा कल्यानपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा, 02. राजकुमार पुत्र किशुनदेव निवासी ग्राम राम स्वरूपपुरवा कल्यानपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा, 03. राम बाबू पुत्र तुलसीराम निवासी ग्राम बनरही थाना मनकापुर जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर उनके कब्जे/निशानदेही से चोरी की 07 अदद बैट्री व 01 अदद चोरी की मोटरसाईकिल बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–
वादी अजय गुप्ता पुत्र स्व0 राम फेर गुप्ता निवासी ग्राम मंगुरा बाजार थाना उमरीबेगमगंज गोण्डा द्वारा थाना नवाबगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि कटरा शिवदयालगंज में किराये के मकान में रहता हूं, तथा दि0 13.07.2025 रात्रि अज्ञात चोरो द्वारा घर के बाहर खड़ी मेरी बैट्री रिक्शा को चोरी कर लिया है। तहरीर के आधार पर थाना नवाबगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। दिनांक 08.08.2025 को वाहन चेकिंग/रात्रि गस्त के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 01. राजेश उर्फ रिक्की पुत्र राम सुरेश निवासी ग्राम बढ़ईपुरवा कल्यानपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा 02. राजकुमार पुत्र किशुनदेव निवासी ग्राम राम स्वरूपपुरवा कल्यानपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा को किशुदासपुर मोड़ पुलिया के पास से गिरफ्तार कर कब्जे से 01 अदद चोरी की बैट्री व चोरी की आपाचे मोटरसाईकिल बरामद किया गया। पूछताछ के दौरान अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि बरामद अपाची मोटरसाइकिल को उन्होंने 15 दिन पूर्व जनपद बस्ती से चोरी किया तथा बरामद बैटरी को 8 दिन पूर्व कटरा कस्बे में ई–रिक्शा से चोरी कर कबाड़ी राम बाबू को बेचने जा रहे थे। पूर्व में भी कई वाहनों से बैटरियां चोरी कर राम बाबू को बेच चुके हैं। लगभग 20–25 दिन पूर्व कनकपुर से ई–रिक्शा की 4 बैटरियां चोरी कर ₹3500 में बेची थीं, निशानदेही पर कबाड़ी की दुकान से 06 चोरी की बैटरियां बरामद हुईं।कबाड़ी संचालक राम बाबू को भी चोरी के माल की खरीद–फरोख्त में संलिप्त पाए जाने पर गिरफ्तार थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0–282/2025 धारा 317(2), 317(4) बीएनएस अभियोग पंजीकृत कर, मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–
01. राजेश उर्फ रिक्की पुत्र राम सुरेश निवासी ग्राम बढ़ईपुरवा कल्यानपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
02. राजकुमार पुत्र किशुनदेव निवासी ग्राम राम स्वरूपपुरवा कल्यानपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
03. राम बाबू पुत्र तुलसीराम निवासी ग्राम बनरही थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–
01. 07 अदद चोरी की बैट्री।

02. 01 अदद चोरी की अपाची मोटरसाईकिल।

<u>अनावरित अभियोग–</u>

01. मु0अ0सं0 0255/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना नवाबगंज गोण्डा

<u>पंजीकृत अभियोग</u>

01. मु0अ0सं0 0282/25 धारा 317(2)/317(4) बीएनएस थाना नवाबगंज गोण्डा

<u>गिरफ्तारकर्ता टीम–</u>

01. उ0नि0 विभव सिंह
02. हे0का0 योगेन्द्र नाथ यादव
03. हे0का0 अभिषेक सिंह
04. का0 अतुल सिंह
05. का0 अमित सिंह
06. कां0 अखिलेश यादव

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेस नोट
दिनांक 09.08.2025

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर जालसाजी करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाही

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना नवाबगंज पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 116/2025 धारा 319(2),318(3),316(2), 336(3), 338 बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त सुनील कुमार यादव पुत्र रामकिशुन यादव निवासी ग्राम धुसवा मौजा दुल्लापुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा को ग्राम धुसवा दुल्लापुर से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

वादी अमित कुमार त्रिपाठी पुत्र देवेन्द्र नाथ तिवारी, निवासी ग्राम ठठिया, नवाबगंज गिर्द, जनपद गोण्डा द्वारा दिनांक 20.11.2024 थाना नवाबगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि विपक्षी अनिल यादव एवं सुनील यादव पुत्रगण राम किशुन, निवासी ग्राम धुसवा दुल्लापुर तथा तिलकराम पुत्र मिश्री लाल, निवासी ग्राम तुलसीपुर माझा, थाना नवाबगंज, जनपद गोण्डा ने उन्हें ग्राम दुर्गागंज, तहसील तरबगंज, जनपद गोण्डा स्थित गाटा सं. 1432 की भूमि दिलाने का आश्वासन देकर फर्जी दस्तावेज (खसरा–खतौनी एवं आधार कार्ड) दिखाए। आरोपियों के कहने पर प्रार्थी ने केशवराम नाम से खोले गए खाते मे 2,50,000/–रू0 ट्रांसफर किए, साथ ही ₹2,50,000/– नगद दिए। बाद में पता चला कि खातेधारक केशवराम पुत्र बाबूलाल, निवासी ग्राम माझा कला, थाना कैण्ट, जनपद अयोध्या हैं, न कि वास्तविक भूमिधर।_इस प्रकार आरोपियों ने कूटरचित दस्तावेज बनाकर लगभग ₹5 लाख की धोखाधड़ी की गयी है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नवाबगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। आज दिनांक 09.08.2025 को थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्त सुनील कुमार यादव को ग्राम धुसवा मौजा दुल्लापुर से गिरफ्तार कर लिया गया। थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. सुनील कुमार यादव पुत्र रामकिशुन यादव निवासी ग्राम धुसवा मौजा दुल्लापुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

सम्बन्धित अभियोग–

01.मु0अ0सं0–116/2025 धारा 319(2),318(3),316(2),336(3),338 बीएनएस थाना नवाबगंज गोण्डा।

<u>गिरफ्तारी स्थान</u>

ग्राम धुसवा दुल्लापुर

<u>गिरफ्तारकर्ता टीम–</u>

01. व0उ0नि0 विश्वास कुमार चतुर्वेदी।
02. हे0का0 संजय कुमार निषाद।
03. का0 शैलेन्द्र सिंह।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>